(290)

निग0-3948/2018/सिंगरौली/भू-रा0

समक्ष श्रीमान माननीय राजस्व मंडल म०प्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म०प्र०

(1) शियाराम विश्वकर्मा पिता बच्चू लोहार

(2) ललता प्रसाद पिता बच्चू

(3) दिनेश पिता बच्चू लोहार

(4) बेवा भगवनिया पत्नी स्व0 बच्चू लोहार

सभी निवासी ग्राम शासन तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0

===== निगरानीकर्तागण

बनाम

शिवशंकर लोहार तनय बच्चू लोहार निवासी ग्राम शासन तहसील व जिला-सिंगरौली म0प्र0 ==== गैरनिगरानीकर्ता

आवेदक द्वारा श्री अरुण कुमार सिंह एड. द्वारा पेश 28-6-18

28.6.18

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मंडल शासन तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक-144/अ-12/16-17 आदेश दिनांक-30/5/18.

= ==

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म0प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959ई0.

= =

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

(1) यहकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि व प्रक्रिया व प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

(2) यहकि आराजी नम्बर 275 आवेदकगण के पिता बच्चू लोहार की स्वअर्जित सम्पत्ति थी जिसका रजिस्टर्ड बटवारा आवेदकगण के नाम अपने जीवनकाल में ही कर दिया था। गैरनिगरानीकर्ता को जो अपने आपको बच्चू का पुत्र कहता

क्रमश: 2..पर

(290)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R 3948/18 जिला– सिंगरौली

शियाराम लोहार वगैरह विरूद्ध शिव शंकर लोहार

(1)	(2)	(3)
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री महेन्द्र कुमार शाह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~तहसीलदार~~/ ~~नायब तहसीलदार~~/राजस्व निरीक्षक, तहसील सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 144/अ12/16-17 में पारित आदेश दिनांक 30-5-18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 27-12-18 को कलेक्टर सिंगरौली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	